न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा स्थान गोपालपुरा

राजस्व वाद संख्या : 71 / 2025
निर्णय दिनांक : 27.06.2025
दायर दिनांक – 20.05.2025
सीसीएमएस नं0– 2025 / 159

1. श्रवण राम पुत्र नथुराम जाति माली निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थितः–

1. **श्री निर्मल कुमार सिंगोदिया अधिवक्ता प्रार्थी।**
2. **अप्रार्थी राजपैरोकार।**

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुतं कर निवेदन किया गया कि रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ में खेत खसरा संख्या 1136 / 311 रकवा 0.1264 है0, ख0नं0 1141 / 317 रकबा 0.1011 है0, ख0नं0 524 रकबा 1.5426 है, ख0नं0 525 रकबा 1.0495 है0, ख0नं0 531 रकबा 1.3150 है0 प्रार्थी की एकल खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में श्रवण है जो कि गलत है, प्रार्थी का सही व दस्तावेजी नाम श्रवणराम पुत्र नथुराम है। प्रार्थी के दस्तावेज यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, ई–श्रम कार्ड आदि में श्रवण राम ही दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने मे परेशानियों का सामना करना पड रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का सही नाम श्रवण राम पुत्र नथुराम है। प्रार्थी के आधारकार्ड आदि में भी नाम श्रवणराम पुत्र नथुराम ही दज है। श्रवण पुत्र नथुराम व श्रवणराम पुत्र नथुराम दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में श्रवण पुत्र नथुराम के स्थान पर श्रवणराम पुत्र नथुराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड आदि भी प्रार्थी का नाम श्रवण राम पुत्र नथुराम ही अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा कैम्प स्थान गोपालपुरा में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि वाके रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ में 1136/311 रकबा 0.1264 है0, ख0नं0 1141/317 रकबा 0.1011 है0, ख0नं0 524 रकबा 1.5426 है, ख0नं0 525 रकबा 1.0495 है0, ख0नं0 531 रकबा 1.3150 है0 खातेदारी में दर्ज खातेदार श्रवण पुत्र नथुराम स्थान पर श्रवण राम पुत्र नथुराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को टंकित करवाया जाकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा कैम्प स्थान गोपालपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़